झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–3061 वर्ष 2013

1. बादल चन्द्र महतो, पे0–स्वर्गीय सुचंद महतो

2. बिजय महतो

3. पूर्ण चन्द्र महतो

दोनों अघनु महतो के पुत्र हैं।

सभी निवासी ग्राम–लावा, डाकघर–सिमागुंडा,

थाना–नीमडीह, वर्तमान निवासी ग्राम–भुईयाडीह, डाकघर–भुईयाडीह,

थाना–चंदिल, जिला–सरायकेला–खरसावाँ

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना अधिकारी-II

(ग्राम–लावा), सुवर्णरेखा परियोजना, चंदिल

3. अतिरिक्त निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना

भवन, डाकघर एवं थाना–आदित्यपुर, जिला–सराय–खरसावाँ

4. सचिव, जल संसाधन, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर एवं थाना–

डोरण्डा, राँची

5. पुनर्वास अधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना, चंदिल, डाकघर एवं थाना–चंदिल

जिला–सरायकेला–खरसावाँ

6. डी0सी0, सरायकेला–खरसावाँ, सरायकेला

.... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– श्री एच0 वारिस, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थियों के लिए :– श्री आशुतोष कुमार सिंह, एस0सी0 का ए0सी0 (खान)।

10 / 27.07..2018 याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेशों द्वारा जिन्हें विद्वान अवर न्यायाधीश, द्वितीय, सरायकेला द्वारा पारित किया गया है, एल0ए0 वाद सं0 67 / 1991, एल0ए0 वाद सं0 68 / 1991 और एल0ए0 वाद सं0 69 / 1991 के संबंध में क्रमशः दिनांक 14.09.2004, दिनांक 09.08.2004 एवं दिनांक 17.07.2004 को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत मामलों को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इन याचिकाकर्त्ताओं को एक अवसर दिया जा सकता है जो गरीब विस्थापित व्यक्ति हैं। रिट याचिका के पैराग्राफ सं0 6 को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता सं0 3 जो उक्त मामलों की देखभाल कर रहा था, बीमार हो गया था और पीलिया आदि से पीड़ित था और उसके बाद वह उपस्थित नहीं हुआ था एवं विद्वान अधिवक्ता जिन्हें मामलों को देखने के लिए लगाया गया था, भी उपस्थित नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेशों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12 के तहत पारित अधिनिर्णय की पुष्टि की

गई। उन्होनें दोहराया कि याचिकाकर्त्ता गरीब विस्थापित व्यक्ति हैं और यदि आक्षेपित आदेशों को अपास्त नहीं किया जाता है, तो उन पर अत्यन्त प्रतिकूलता कारित होगीं

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये पुराने मामले हैं, याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वे अतिरिक्त मुआवजे के संबंध में वैधानिक हित के दावे को वापस करने के लिए तैयार हैं, यदि कोई हो, जिसका आकलन किया जा सकता है और याचिकाकर्त्ताओं को प्रदान किया जा सकता है जब एक बार मामले पुनर्स्थापित किए जाते हैं और विद्वान निचली अदालत को याचिकाकर्त्ताओं के योग्यता के आधार पर अपना मामला रखने का अवसर देने के बाद योग्यता पर मामला तय करने का निर्देश दिया जाता है। वह निवेदन करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्त्ताओं के कृत्यों/चूक के कारण हुआ विलम्ब से उत्तरदाताओं को कोई प्रतिकूलता नहीं हो, वे सांविधिक ब्याज को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिससे याचिकाकर्त्ता किसी अतिरिक्त राहत, जिसे निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्त्ता को प्रदान किया जा सकता है, के कारण हकदार हो सकते हैं।

4. उत्तरदाताओं के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपने मामलों को आगे बढ़ाने में याचिकाकर्त्ताओं की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है और तद्नुसार, वह निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता है।

5. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्त्ता, अतिरिक्त राशि यदि हो, जिसे किसी आदेश, जिसे इन तीनों मामलों में योग्यता के आधार पर पारित किया जा सकता है, के अनुसरण में याचिकाकर्त्ताओं को प्रदान किया जा सकता है, पर सांविधिक ब्याज का दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं, यह न्यायालय आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने का इच्छुक है और याचिकाकर्त्ताओं को आज से दो महीने की अवधि के भीतर निचली अदालत के सामने पेश होने का निर्देश देती है और विद्वान निचली अदालत अर्थात विद्वान अवर न्यायाधीश, द्वितीय, सरायकेला को मामला सुनने एवं विधि के अनुरूप इस पर निर्णय लेने का निर्देश देती है। इस न्यायालय का

दृष्टिकोण है कि पूर्वोक्ति आदेश द्वारा न्याय का उद्देश्य पूरा होगा क्योंकि उत्तरदातागण मामलों के निपटान में देरी के कारण पीड़ित नहीं होंगे जो याचिकाकर्त्ताओं और/या उनके अधिवक्ता द्वारा किए गए कृत्यों/चूक के कारण हुए हैं क्योंकि याचिकाकर्त्ताओं ने सांविधिक ब्याज, यदि हो, जिसे प्रतिप्रेषण के इस आदेश पर विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अनुसरण में भुगतेय पाया जा सकता है, के कारण याचिकाकर्त्ताओं ने दावा छोड़ दिया है।

6. यह रिट याचिका पूर्वोक्त संप्रेक्षणों और निर्देशों के साथ निपटायी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार, याचिकाकर्त्ता अतिरिक्त राशि, यदि हो, जिसे प्रतिप्रेषण के इस आदेश पर विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश के अनुसरण में भुगतेय पाया जा सकता है, पर सांविधिक ब्याज के कारण किसी दावा के हकदार नहीं होंगे।

ह0

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)